न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 102/2025 बउनवानी शैलेन्द्र कुमार वर्मा बनाम तहसीलदार खण्डार
निवासी –आलनपुर रोड़ सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 235

Appeal Number- 321360932025083

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
25.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बावत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 1.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर'' ***दिनांक 22.6.2002को ग्राम पंचायत खण्डेवला के ग्राम फरिया कटार में राधेश्याम पुत्र देवीलाल /कमला कोली को आवंटित 5 बीघा भूमि के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र व संलग्न दस्तावेजो की प्रतिलिपि व फाईल की नोटशीट की प्रति तथा वर्ष 2015 से 2025 तक की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिप''*** तहसीलदार खण्डार से दिलाये जाने बावत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः भू0अभिलेख/2025/2715 दिनांक 25.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा चाही सूचना(आवंटन पत्रावली) तहसील कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है किन्तु बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना के परिप्रेक्ष्य में वांछित जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी अपीलान्ट को भिजवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 व 3 की सूचना अपीलान्ट को तहसीलदार खण्डार जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है किन्तु बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की तय समय सीमा मे अन्तरित किया जाना चाहिए था जो नही किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के प्रावधानो के प्रति सजग नही है, जो खेदजनक है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनिमय के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए अधिनियम की तय समय सीमा मे अधिनिमय के प्रावधानो के अनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए संबंधित आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner